दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग--2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §

शुक्रवार, 6 मई, 1994 / वैशाख 16, 1916 §शक§

संख्या 88

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली का अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 2 मई 1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 2 मई, 1994 को प्राप्त हुआ :

"सर्वश्री टेक चन्द शर्मा, मुकेश शर्मा, जय किशन, राज कुमार चौहान, सदस्य, दिल्ली विधान सभा को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 2.5.94 को पूर्वाह्न 11.40 बजे थाना सिविल लाइन पर सड़क अवरूद्ध करने और यातायात के सहज आवागमन में बाधा डालने से बाज आने के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन दिल्ली के तर्कसंगत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978, की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किये गए तथा उसी दिन थाना सिविल लाइन से अपराह्न 12.45 बजे रिहा किए गये ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, May 6, 1994/Vaisakha 16, 1916 (Saka)

No.88

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated the 2nd May,1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on 2nd May, 1994 :

"S/Shri Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma, Jai Kishan, Raj Kumar Chauhan, members, Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 for not obeying the reasonable directions of the Assistant Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi, to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic at P.S. Civil Lines at 11.40 A.M. on 2.5.94 and were released on the same day at 12.45 P.M. from P.S. Civil Lines."

P.N. GUPTA
SECRETARY